हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

दिनांक–08.10.2025

अधिवक्ता वादी श्री सर्वेश सारस्वत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी, श्री रजनीश महला व श्री जय कौशिक उपस्थित। प्रार्थीगण पूजा पौद्दार व संतोष पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्षों को सुना जा चुका है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रवीण गोस्वामी उपस्थित।

बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि हस्तगत वाद में वादग्रस्त संपत्तियों के 1/10 हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.05.2019 को क्रय किया जा चुका है तथा इस पर कब्जा कर लिया गया है जिससे प्रार्थीगण को इस संपत्ति में स्वत्व व विधिक अधिकार जो वादी संख्या 1 व 2 को थे वे प्राप्त हो चुके हैं जिस कारण हस्तगत प्रकरण के निर्णय का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण वाद के आवश्यक पक्षकार हैं जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण के रूप में उन्हें पक्षकार संयोजित किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्तगण द्वारा प्रत्यर्थी विवेक पौद्दार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी के स्तर पर होने व साक्ष्य को टालने के लिए प्रार्थीगण द्वारा निरर्थक रूप से हस्तगत आवेदन पेश किये जाने तथा वाद संस्थित करने के पश्चात् वादीगण कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने एवं काल्पनिक रूप से उपर्युक्त विक्रय पत्र उपर्युक्त वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् बिना किसी विधिक अधिकार के तैयार किये जाने तथा प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

इस संबंध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए वादग्रस्त संपत्ति का हिस्सा प्रार्थीगण द्वारा तय किये जाने के कारण उन्हें संपत्ति में हक प्राप्त हो जाने से प्रार्थीगण को वादीगण के रूप में संयोजित किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की गयी है।

उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि हस्तगत वाद दिनांक 30.09.2016 को इस न्यायालय में पेश किया गया है तथा हस्तगत वाद परिवार की अविभाजित संपत्ति के विभाजन से संबंधित है एवं वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य वादी के स्तर पर है किन्तु किसी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया जा सका है तथा प्रार्थीगण द्वारा इस स्तर पर स्वयं को वादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा विवादित संपत्ति के 1/10 भाग को पृथक्–पृथक् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक

08-10-2025
अपर जिला न्यायाधीश

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

10.05.2019 को क्रय किया जा चुका है जिससे उन्हें इस संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। किन्तु, यहां यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थीगण उपर्युक्त विवादित पारिवारिक संपत्ति में सह–शेयरधारक अथवा वादीगण के परिवार के सदस्य नहीं हैं बल्कि उनके द्वारा हस्तगत वाद वर्ष 2016 में संस्थित किये जाने के बाद वर्ष 2019 में विवादित संपत्ति का भाग क्रय किया गया है जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण प्रश्नगत वाद के परिणाम के अधीन संपत्ति प्राप्त करते हैं एवं उनके अधिकार अंतिम डिक्री से बंधे होते हैं।

इस संबंध में **Kasturi Vs Iyyamperumal (2005) 6 SCC, 733** में माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा तीसरे पक्ष क्रेता को आवश्यक पक्षकार नहीं माना गया है जब तक कि संपत्ति का शीर्षक (टाईटल) ही वाद में विवाद्यक ना हो।

इसी प्रकार **Thomson Press (India) Ltd. Vs Nanak Builder (2013) 5, SCC, 397** में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि क्रेता ऐसे प्रकरणों में उचित पक्षकार हो सकता है किन्तु आवश्यक पक्षकार नहीं होता है एवं उनका पक्षकार होना वाद के अधिनिर्णयन के लिए अनिवार्य नहीं होता है।

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य वादीगण के स्तर पर होकर न्यायालय की टारगेटेड पत्रावलियों में शामिल है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रार्थीगण के आवश्यक पक्षकार नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण पूजा पौद्दार व संतोष पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 09.10.2025 को पेश हो एवं वादीगण द्वारा साक्षी को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे।

08-10-2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर